THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EDUCATION AND CULTURE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI L. P. SHAHI): (a) and (b) According to the guidelines issued by the Department of Personnel and Training, Departmental Promotion Committees (DPC) should be convened at regular annual intervals to draw up panels for promotion for vacancies occuring during the course of a year. Regular promotions to higher posts are made only after the panels drawn by the Departmental Promotion Committees are approved by the appointing authorities. Instructions have also been issued to the effect that in the event of bunching of vacancies of selection posts pertaining to more than a year due to non-holding of DPCs in particular year(s), year-wise panels should be drawn up so that officers promoted against vacancies relating to previous year(s) are placed senior to those promoted against vacancies in subsequent years.

(c) A post of Deputy Commissioner (Training) to which Assistant Commissioners of Kendriya Vidayalaya-Sangathan are eligible for promotion fell vacant on 1-6-1988. The Department Promotion Committee will meet shortly to give its recommendations in this regard.

आरक्षण में यात्रियों को पेश आने वाली समस्यायें

1960. **श्री अश्विनी कुमार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रेलगाड़ियों के आरम्भ होने के स्थानों में भी विभिन्न श्रेणियों के आरक्षण प्राप्त करने में अत्याधिक कठिनाई होती है यहा तक कि यात्रियों को गैर-सरकारी एजेंसियों की मदद से भी आरक्षण प्राप्त करना पड़ता है और इस तरह के कार्य मे रेल आरक्षण में कदाचारों को बढ़ावा मिलता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वापसी यात्रा के लिए पहले से ही आरक्षण करा लेने के बाद भी आरक्षण प्राप्त करना संभव नहीं होता और यात्रियों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ; और

(ग) यदि हां, तो विभिन्न स्टेशनों पर आरक्षण के प्रतिशत का निर्धारण करने का मानदण्ड क्या है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि यात्रियों को इसके कारण कठिनाई का सामना न करना पड़े रेल प्राधिकारियों द्वारा क्या उपचारी कदम उठाये जा रहे है अथवा उठाये जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) भीड़-भाड़ की अवधि अर्थात् गर्मी/क्रिसमस की छुट्टियों, पूजा की छुट्टियो आदि के दौरान यात्रा वापसी यात्रा के लिए बर्हिरक्षण प्राप्त करने में यात्रियो द्वारा कुछ कठिनाइयां अनुभव की जाती रही है । वापसी आरक्षण उपलब्ध नहीं होने के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई है ।

(ग) स्थान की समग्र उपलब्धता और विभिन्न स्टेशनो की मांग के रुख को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्टेशनों पर आरक्ष कोटा निर्धारित किया जाता है ।

अतिरिक्त भीड़-भाड़ की निकासी के उद्देश्य से विशेष गाड़िया चलायी जाती है और जहां आवश्यक होता है, डिब्बो की संख्या बढ़ा दी जाती है । आरक्षण हथियाने में संलिप्त दलालो और रेल कर्मचारियों को पकड़ने के लिए अचानक जाच की जाती है ।

National Planning on Health Programme

1961. SHRI RAM AWADHESH SINGH: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether the various Research Councils of Indian System of Medicine in Ayurveda, Unani, Siddha, Na-